[2018] 5 एस.सी.आर. 655

दिलावर

बनाम

हरियाणा राज्य और आंध्र प्रदेश

(2017 के एसएलपी (सीआरएल) संख्या 657 में 2017 का एमए नंबर 267) 01 मई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और इंदु मल्होत्रा, जेजे]

जांच: त्वरित विवेचना – आक्षेपित आदेश द्वारा, सीबीआई को छह महीने के भीतर विचारण का निर्देश दिया गया था – याचिकाकर्ता–आरोपी के खिलाफ मामला यह था कि वह उस भीड़ का नेता था जो कैबिनेट मंत्री के घर को जलाने, आगजनी, लूट और रिष्ट में शामिल था – उसकी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी – जमानत याचिका खारिज करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर जहां तक संभव हो विचारण किया जाए – उक्त आदेश में संशोधन की मांग करने वाले प्रस्तुत आवेदन में, यह कहा गया कि सीबीआई जांच कर रही थी और 6 जनवरी, 2016 को ही इसे संभाला था और डेढ़ साल बीत चुके हैं और, एक बड़ा काम था जिसमें समय लगता था और मुकदमा तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि सीबीआई द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती ,जिसमे काफी समय लगेगा – आवेदन का निस्तारण करते हुए, अदालत ने कहा: इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सीबीआई द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और अधिक समय की आवश्यकता क्यों होगी और कितना अधिक समय चाहिए – कोई भी जांच एजेंसी जांच पूरी करने में अनावश्यक रूप से लंबा समय नहीं ले सकती है – त्वरित विवेचना को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है –चूंकि आरोपी दो साल से अधिक समय से हिरासत में है और डेढ़ साल से अधिक समय से सीबीआई के पास जांच लंबित है, इसलिए सीबीआई को अधिकतम अगले दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी ताकि मुकदमा 10 जुलाई, 2018 तक शुरू हो सके और साल के अंत तक समाप्त हो सके – चूंकि जमानत को अस्वीकार करने का आदेश 30 जनवरी 2017 को पारित किया गया था और एक साल से अधिक समय बीत चुका है, यह याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा , यदि वह अभी भी हिरासत में है, तो विधि अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर कर सकता है – भारत का संविधान – अनुच्छेद 21।

जांच: कई मामलों में, जांच अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित रहती है जो आपराधिक न्याय के प्रणाली के लिए अनुकूल नहीं है – जांच पूरी करने के लिए समय सीमा की आवश्यकता है और आंतरिक निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर निर्धारित समय –सीमा का पालन करने की जवाबदेही तय की जा सके।

भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 – त्वरित सुनवाई – त्वरित सुनवाई के लिए अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित अधिकार है जिसमें त्वरित विवेचना, जांच, अपील, पुनरीक्षण और पुन: परीक्षण शामिल है – यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुचित देरी हुई है, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त और गवाहों की संख्या, अदालत और जांच एजेंसी के कार्यभार, प्रणालीगत देरी को ध्यान में रखना चाहिए – अत्यधिक देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है, खासकर जब आरोपी हिरासत में हो ताकि अभियोजन उत्पीड़न न बन जाए – अदालत को कई प्रासंगिक कारकों को संतुलित और तुलना होता

है – हालांकि कोई अनिवार्य बाहरी समय सीमा को निर्धारित करना न तो उचित है और न ही संभव है और अदालत केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देरी के प्रभाव की जांच कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक तंत्र की आवश्यकता है कि जांच को पूरा करने में कोई अनुचित देरी न हो।–विलंब/लाचेस – जांच।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर 621; हुसैनारा खातून (I) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 SCC 81: [1979] 3 SCR 169; अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक (1992) 1 एससीसी 225: [1991] 3 सपल एससीआर 325; पी. रामचंद्र राव कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी 578 संदर्भित किये गये।

जांच: अनुचित देरी – जांच में अनुचित देरी होने पर उपचारात्मक कदम उठाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता – सीआरपीसी की धारा 57 एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक हिरासत पर रोक लगाती है – सीआरपीसी की धारा 167 (1) प्रावधान करती है कि जहां जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और अभियुक्त की आगे की हिरासत को मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए – यह सुस्थापित है कि इस तरह की हिरासत की अनुज्ञा जांच में प्रगति को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए – यहां तक कि एक मजिस्ट्रेट भी 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत में हिरासत को अधिकृत नहीं कर सकता है – गंभीर मामलों में 90 दिनों से अधिक और अन्य मामलों में 60 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद, यदि उक्त अवधि से अधिक जांच में देरी होती है तो अनिवार्य डिफ़ॉल्ट जमानत की आवश्यकता का प्रावधान है। – समन मामले में, यदि जांच छह महीने के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसे तब तक रोकना होगा जब तक कि निरंतरता आवश्यक न हो – हालांकि, अन्य मामलों में जांच के लिए कोई स्पष्ट बाहरी सीमा नहीं है , लेकिन जांच में देरी प्रक्रिया की तर्कसंगतता को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब कोई व्यक्ति हिरासत में है और जमानत देने में असमर्थ है – इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए जांच पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है– गृह मंत्रालय को दिए गए कतिपय निर्देश – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 57, 167(1)। विधि आयोग की रिपोर्ट 14 (1958) और 154 रिपोर्ट (1996) उल्लेख किया गया है।

केस लॉ रेफरेंस

[1978] 2 एससीआर 621 पैरा 7

[1979] 3 एससीआर 169 पैरा 7

[1991] 3 सपल एससीआर 325 पैरा 7

(2002) 4 एससीसी 578 पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : एमए नंबर 2017 के 267 में एसएलपी (सीआरएल) नंबर 657 में 2017

2016 के सीआरएम–एम–नंबर 27311 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 02.12.2016 के निर्णय और आदेश से।

तुषार मेहता, एएसजी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय शर्मा, टीए खान, मुकेश कुमार मरोरिया, अपीलकर्ता के वकील।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. यह आवेदन सीबीआई द्वारा इस न्यायालय के 31 जनवरी, 2017 के आदेश में संशोधन के लिए एक निस्तारित मामले में दायर किया गया है।

2. एफआईआर नंबर 118 दिनांक 27 फरवरी, 2016 को रोहतक के अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें 'जाट आंदोलन' में भीड़ की हिंसा का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता 20 अप्रैल, 2016 को गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक था और वह तब से हिरासत में था। राज्य पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 27 मई, 2016 को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। हालांकि, इसके बाद 30 सितंबर, 2016 को कई अन्य मामलों के साथ जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। अदालती कार्यवाही को भी नियमित अदालतों से पंचकूला में सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने रोहतक के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया , जिसे 12 जुलाई, 2016 को खारिज कर दिया गया। हालांकि कुछ सह–आरोपियों को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता की जमानत याचिका 2 दिसंबर, 2016 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता उस भीड़ का नेता प्रतीत होता है जिसने आगजनी, लूट और एक कैबिनेट मंत्री के घर को जलाने का रिष्ट किया था। जब उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से खारिज करने के आदेश के खिलाफ मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो इस अदालत ने जमानत न देते हुए निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर जहां तक संभव हो विचारण को समाप्त किया जाए।

3. वर्तमान आवेदन में यह कहा गया है कि सीबीआई जांच कर रही है और उसने 6 अक्टूबर, 2016 को ही कार्यभार संभाला है। यह बहुत बड़ा काम है जिसमें समय लगता है। इस प्रकार, मुकदमा तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट सीबीआई द्वारा दायर नहीं की जाती है, जिसमें काफी समय लगेगा.

4. उपरोक्त तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि भले ही सीबीआई ने 6 अक्टूबर, 2016 को जांच शुरू की, लेकिन डेढ़ साल पहले ही बीत चुके हैं। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सीबीआई ने अब तक क्या कार्यवाही की है और क्यों अधिक समय की आवश्यकता होगी और कितना अधिक समय लगेगा। कोई भी जांच एजेंसी जांच पूरी करने में अनावश्यक रूप से लंबा समय नहीं ले सकती है। त्वरित जांच को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

5. तदनुसार, जब मामला पिछली तारीख पर सुनवाई के लिए आया, तो विद्वान एएसजी ने अदालत की सहायता के लिए समय मांगा कि क्या जांच पूरी करने के लिए समयसीमा होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, चूंकि आरोपी दो साल से अधिक समय से हिरासत में है और जांच डेढ़ साल से अधिक समय से सीबीआई के पास लंबित है, हमारा विचार है कि सीबीआई को अधिकतम दो महीनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी ताकि मुकदमा 10 जुलाई 2018 तक शुरू हो सके और वर्ष के अंत तक समाप्त हो सके। चूंकि जमानत को अस्वीकार करने का आदेश 30 जनवरी, 2017 को पारित किया गया था और एक साल से अधिक समय बीत चुका है, यह याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा , यदि वह अभी भी हिरासत में है, तो विधि अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर कर सकता है। इसके बाद बताए गए मुद्दे पर विचार करने के अलावा इस आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाएगा।

6. हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां जांच अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित रहती है जो आपराधिक न्याय के प्रणाली के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार, जांच पूरी करने के लिए समय–सीमा और आंतरिक निरीक्षण तंत्र की स्पष्ट आवश्यकता है, जिसमें निर्धारित समय–सीमा का पालन करने के लिए पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही तय की जा सके।

7. संविधान के अधिदेश को स्पष्ट करने वाले इस न्यायालय के सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि त्वरित विचारण के लिए अनुच्छेद 21 के तहत निहित अधिकार है जिसमें में त्वरित विवेचना, जांच, अपील, पुनरीक्षण और पुन: विचारण शामिल है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुचित देरी हुई है, अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, अदालत और जांच एजेंसी के कार्यभार, प्रणालीगत देरी को ध्यान में रखना चाहिए। अत्यधिक देरी के अनुमानित सबूत के रूप में लिया जा सकता है, खासकर जब आरोपी हिरासत में हो ताकि अभियोजन उत्पीड़न न बन जाए। न्यायालय को कई प्रासंगिक कारकों को संतुलित करना और तौलना होगा। यद्यपि कोई अनिवार्य बाहरी समय सीमा निर्धारित करना न तो उचित है और न ही संभव है और न्यायालय केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देरी के प्रभाव की जांच कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से आंतरिक तंत्र की आवश्यकता है कि जांच पूरी करने में कोई अनुचित देरी न हो। यह दायित्व इस न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, हुसैनारा खातून (1) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य', अब्दुल रहमान (1978) 1 एससीसी 248 > (1980) 1 एससीसी 81 में निर्धारित कानून से आता है। अंतुले बनाम आरएस नायक और पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य।

8. यदि जांच में अनुचित देरी होती है तो उपचारात्मक कदम उठाने के लिए एक तंत्र की निस्संदेह आवश्यकता है। सीआरपीसी की धारा 57 गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में रखने पर रोक लगाती है। सीआरपीसी की धारा 167 (1) में प्रावधान है कि जहां जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा आगे हिरासत में लेने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह की हिरासत के लिए प्राधिकरण जांच में प्रगति को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। यहां तक कि एक मजिस्ट्रेट भी 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत में हिरासत को अधिकृत नहीं कर सकता है। गंभीर मामलों में 90 दिनों से अधिक और अन्य मामलों में 60 दिनों से अधिक की न्यायिक हिरासत के बाद, यदि उक्त अवधि से अधिक जांच में देरी होती है तो अनिवार्य डिफ़ॉल्ट जमानत आवश्यकता का प्रावधान है। समन मामले में, यदि जांच छह महीने के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसे तब तक रोकना होगा जब तक कि निरंतरता आवश्यक न हो। हालांकि, अन्य मामलों में जांच के लिए कोई स्पष्ट बाहरी सीमा नहीं है, लेकिन जांच में देरी प्रक्रिया की तर्कसंगतता को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब कोई व्यक्ति हिरासत में है और जमानत देने में असमर्थ है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिदेश को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जांच पूरी करने के लिए समय–सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। विधि आयोग की रिपोर्ट में भी इस पहलू पर चर्चा की गई है जिसमें 14 रिपोर्ट (1958) और 154 रिपोर्ट (1996) शामिल है जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम भारत संघ को पक्षकार बनाते हैं। हमने विद्वान एएसजी को भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा है। हम गृह मंत्रालय को इस विषय पर सभी केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के साथ 31 मई, 2018 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से बातचीत

करने का निर्देश देते हैं। परस्पर कार्यवाही से उभरने वाले बिंदुओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए गठित एक उपयुक्त समिति द्वारा जांच की जा सकती है। उक्त समिति 30 जून, 2018 तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है। हम गृह मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह अन्य आंकड़ों के साथ–साथ एक वर्ष से अधिक की सभी लंबित जांचों के आंकड़े और उन्हें प्रस्तावित समय सीमा में पूरा करने के लिए कार्य योजना भी रिकॉर्ड में रखे। राज्य एजेंसियों के संबंध में भी ऐसी सूचना गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र और प्रस्तुत की जा सकती है। मामले को आगे विचार के लिए 3 जुलाई, 2018 को रखा जाए।

आवेदन निस्तारित किया जाता है।

बी देविका गुजराल

vetted by Vidisha Bhushan